

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-6072/8-3-2000-3Bएल.यू.सी./2006
लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2009

अधिसूचना

चूंकि मथुरा-वृन्दावन की महायोजना-2001 में संशोधन करने के सम्बंध में आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना दैनिक समाचार पत्र, "दैनिक जागरण" में दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 व "अमर उजाला" में दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 को प्रकाशित की गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम-1974) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा-(2)के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल मथुरा-वृन्दावन की महायोजना-2001 में निम्नवत यथावर्णित अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

अनुसूची

ग्राम, तहसील व जिले का नाम	आराजी संख्या	रकबा (हेक्टेअर में)	वर्तमान महायोजना 2001 में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	3	4	5	6
चौनुहा, छाता, जिला-मथुरा	713	5.439	कृषि	सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा संस्थान)
	716	0.648	कृषि	तदेव
	717	0.360	कृषि	तदेव
	702	0.975	कृषि	तदेव
	703	0.688	कृषि	तदेव
	700 का भाग	0.765	कृषि	तदेव
	721 का भाग	1.056	कृषि	तदेव
	720 का भाग	1.377	कृषि	तदेव
अकबरपुर, छाता, जिला-मथुरा	774	1.396	कृषि	तदेव
	816	2.071	कृषि	तदेव
	कुल योग	15.375 हे.		

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव।



Ditara-13-08(42)

Registrar
SKS International University
Mathura

संख्या-6072(1)/8-3-2008-38एल.यू.सी./2006 तददिनांक

- प्रतिलिपि अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, गंगा नदी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस दिनांक जनवरी, 2008 के असाधारण को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच.पी. सिंह)
अनु सचिव।

संख्या संख्या-6072(2)/8-3-2008-38एल.यू.सी./2006 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा। 05 प्रतियां
 - 2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 05 प्रतियां
 - 3- श्री एस.के.शर्मा, चेयरमैन, वृजवासी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, 20-ए, गोविन्द नगर, मथुरा।

आज्ञा से,

(एच.पी.सिंह)
अनु सचिव।

Registrar
SKS International University
Mathura

प्रेषक,
जिलाधिकारी,
मथुरा।
सेवा में,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
लखनऊ।

पत्र संख्या 430 /अ0जि0310(प्र0)-एसटी/2020 दिनांक 14 अगस्त, 2020

विषय:- विजी क्षेत्र में प्रस्तावित एस0के0एस0 इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में।
महोदय,

- कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1282/सत्तर-1-2020-20(7)/2015 दिनांक 12 अगस्त, 2020 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस.के.एस. इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी मथुरा का शासन द्वारा उल्लिखित शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त प्रकरण में आपके द्वारा पृष्ठ की गयी विद्युओं के संबंध में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार छता से आख्या मांगी गयी। उप जिलाधिकारी ने अपनी आख्या दिनांक 14-08-20 प्रेषित की है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। विद्युवार जांच आख्या निम्नवत् है।
- विद्यु सं0-1. ग्राम चौमुहों के गाटा संख्या 713 रकबा 5.4390 है0 (13.44एकड़) तथा मौजा अकबरपुर के गाटा संख्या 816 रकबा (6.60एकड़), 2.6710 है0 कुल भूमि 20.04 एकड़ में प्रस्तावित है। उपरोक्त गाटा नम्बरान की भूमि राजस्व अभिलेखों में नू.एज.एन्ड.वे.सी.के.एच.19क/कविनगर गजियाबाद द्वारा चै0/सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री चन्द्रभाग गौतम, दिवारी 20ए, गोविन्द नगर, मथुरा के नाम दर्ज है।
- विद्यु सं0-2. प्रस्तावित भूमि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है। मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा में भी इसकी स्पष्ट मूलप्रति नहीं है। मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ने अपने पत्र संख्या 1343/नियोजन/ न0वृ0वि0प्र0/2018-19 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा मुष्टि की गयी है तथा सहायक नगर नियोजन, न0वृ0वि0प्र0, मथुरा द्वारा पृष्ठांकित दिनांक 12.06.2020 के द्वारा पुष्टि की है तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।
- विद्यु सं0-3. ग्राम चौमुहों का गाटा संख्या 713 रकबा 5.4390 है0 (13.44एकड़) तथा मौजा अकबरपुर के गाटा संख्या 816 रकबा 2.6710 है0 (6.60एकड़) कुल भूमि 20.04 एकड़ प्रस्तावित/ प्रयोजित संस्था वृ0 एज0 एन्ड0 वे0सी0के0एस0 19क/कविनगर गजियाबाद द्वारा चै0/सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री चन्द्रभाग गौतम, दिवारी 20ए, गोविन्द नगर, मथुरा के नाम दर्ज राजस्व कागजात है।
- विद्यु सं0-4. उक्त दोनों गाटा नम्बर आपस में परस्पर सटे हुए हैं, जिसका नक्शा नजरी संलग्न है। नक्शा नजरी जिसमें प्रायोजक संस्था की भूमि के गाटे उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं व उसके भाग स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं।
- विद्यु सं0-5. उक्त प्रस्तावित गाटों में ग्राम समाज की भूमि/नजूल भूमि/पच भूमि/बकरोड़/बंजर/तालाब/पोधरा/पारागाह/नाली व अन्य सरकारी भूमि आदि सम्मिलित नहीं है।
- विद्यु सं0-6. प्रस्तावित विश्वविद्यालय का भवन गाटा संख्या 713 ग्राम चौमुहों व गाटा संख्या 816 ग्राम अकबरपुर पर ही निर्मित है।
- विद्यु सं0-7. संलग्न चकल खतौनी के गाटा संख्या 713 ग्राम चौमुहों व गाटा संख्या 816 ग्राम अकबरपुर पर कोई भूमि बंधक/ऋण सम्बन्धी आदेश अंकित नहीं है, ऋण सम्बन्धी सूचना प्रयोजित संस्था द्वारा स्वयं प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

उक्त प्रयोजित संस्था द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 14.08.2020 के साथ संलग्न (यसहसाला) Certificate of Search दिनांक 16.06.2020 में गाटा संख्या 713 ग्राम चौमुहों व गाटा संख्या 816 ग्राम अकबरपुर की भूमि पर बंधक/ऋण नहीं है।

तत्कम में उक्त आख्या महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

गवदीय
Registrar
SKS International University
(सतीश कुमार त्रिपाठी)
Mathura
अपर जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन)
मथुरा

